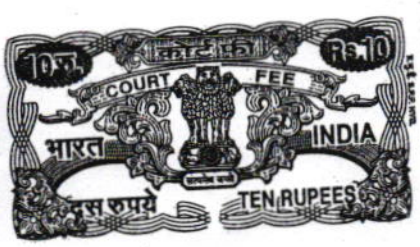

(82)

**न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल**

निग-1774-II-16 **प्रकरण क्रमांक : .............**

**विजय सिंह आत्मज घासीराम, वयस्क**
**जाति सेंधव, कृषक व निवासी –**
**ग्राम छापर, तहसील आष्टा,**
**ज़िला सीहोर** ....... **प्रार्थी**

**विरूद्ध**

**करण सिंह आत्मज रूग्गा, वयस्क**
**जाति बलाई, कृषक व निवासी –**
**ग्राम छापर, तहसील आष्टा,**
**ज़िला सीहोर** ....... **प्रतिप्रार्थी**

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 14.03.2016, जो प्रकरण क्रमांक 4/अ–13/15–16 में न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, तहसील आष्टा, ज़िला सीहोर द्वारा पारित किया गया**

**महोदय,**

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

## प्रकरण के तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम छापर, तहसील आष्टा, ज़िला सीहोर स्थित कृषि भूमि खसरा क्र. 206/1, 316 कुल क़िता 02, कुल रकबा 1.949 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है।

**ब्रज किशोर श्रीवास्तव**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

1774 -A116 भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1774–दो/2016 जिला सीहोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19–8–2016 | आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 4/अ–13/15–16 में पारित आदेश दिनांक 14–3–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के प्रति एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक करणसिंह द्वारा ग्राम छपरा की शाकीय भूमि सर्वे कमांक 201/1 रकबा 1.315 पर स्थित रास्ते को आवेदक विजयसिंह द्वारा बंद कर दिया है उसे खुलवाया जाये। तहसीलदार ने दिनांक 9–3–16 को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। आगामी पेशी दिनांक 14–3–16 को आवेदक मय अभिभाषक तहसील न्यायालय में उपस्थित हुये और जबाव हेतु अवसर मांगा। तहसीलदार ने जबाव हेतु अवसर प्रदान किया तथा निराकरण तक अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाने के आदेश दिये। आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी में केवल यही तर्क दिया है कि अनावेदक उक्त की आड़ में आवेदक की भूमि में से निकल रहे हैं, अतः अंतरिम रास्ता खोलने के आदेश को निरस्त किया जाये। चूंकि सर्वे कमांक 201/1 शासकीय रास्ता के नाम से | |

दर्ज है इसलिए तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से आदेश देकर रास्ता खोला है जिसें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक आवेदक के तर्क का प्रश्न है कि अनावेदक उसकी निजी भूमि से निकल रहा है तो इस संबंध में तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है तथा उक्त प्रकरण में गुण–दोषों पर आदेश पारित करने के पूर्व अपने तर्क में यह तथ्य रख सकता है। आवेदक यह प्रकिया न अपना इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को विलंबित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष प्रकरण अंतिम स्टेज पर हैं जहां दोनों पक्षों के तर्क सुने जाना है। अतः इस स्तर पर तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोकना अथवा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता हूँ। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य